बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

संख्या–8 / आ0 (राज0 उ0)–2–30 / 2016–333 / श्री आनन्द कुमार, प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास के विरूद्ध श्री चन्द्रमणि, अवर निरीक्षक उत्पाद, रोहतास को अपने पद का दुरूपयोग कर निलंबित करने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल आचरण आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–569 दिनांक 10.02.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालन पदाधिकारी –सह–उपायुक्त उत्पाद, ई0आई0बी0 के पत्रांक–238 दिनांक–18.01.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आरोप सं0–01 एवं 02 को पूर्णतः प्रमाणित होता है, निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–443 अनु0, दिनांक–06.02.2018 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी ।

4. श्री कुमार ने पत्रांक–318 दिनांक 31.03.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया है। बचाव बयान में कहा गया है कि रोहतास जिला में प्रसंगाधीन तत्कालीन अवर निरीक्षक उत्पाद श्री चन्द्रमणी का निलंबन का फैसला पूर्णतः प्रशासनिक दुष्टिकोण से लिया हुआ कदम था, जिसका मूल उद्देश्य राज्य का 28 लाख राजस्व जमा कराना था और जिसके जमा होने के उपरान्त संबंधित अवर निरीक्षक को निलंबन से मुक्त कर दिया गया था और उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नियमानुसार चलाई गयी थी। वैसे भी निलंबन कानून की दृष्टि में कोई सजा नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया ।

5. संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा श्री चन्द्रमणि को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1) (क) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। उक्त नियमावली के तहत् सहायक आयुक्त उत्पाद सक्षम प्राधिकार नहीं है। अवर निरीक्षक उत्पाद के नियुक्ति एवं नियंत्री प्राधिकार आयुक्त उत्पाद, बिहार होते है। श्री कुमार के द्वितीय बचाव वयान का अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (vi) के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–1601 दिनांक 14.05.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने पत्रांक–2637 दिनांक 31.12.2018 द्वारा अभिमत दिया है कि " अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सरकारी राशि लगभग 28,00,000 / – (अट्ठाईस लाख) रूपये जमा नहीं किये जा रहे थे और इसमें निलम्बित अवर निरीक्षक, उत्पाद श्री चन्द्रमणि की संलिप्तता सम्भावित थी। श्री चन्द्रमणि को दिनांक 25.02.2016 को निलम्बित किया गया और उसके 05 दिनों के भीतर 28,00,000 / – (अट्ठाईस लाख) रूपये जमा हो गये। वसूली हो जाने के पश्चात् आरोपी पदाधिकारी ने निलम्बन से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। विभागीय कार्यहित में किये गये कार्य को सिर्फ क्षेत्राधिकार के कारण अनुचित ठहराना सही

प्रतीत नहीं होता है, फलतः आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव में असहमति व्यक्त करता है"। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में दण्ड प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री आनन्द कुमार को दोष मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/01/19

(अभय राज)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

संख्या–8 / आ0 (राज0 उ0)–2–30 / 2016–...../ 333 पटना, दिनांक–30.01.19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/01/19

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

संख्या–8 / आ0 (राज0 उ0)–2–30 / 2016–...../ 333 पटना, दिनांक–30.01.19

प्रतिलिपिः– बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव / आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव / राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5 / आई0टी0 मैनेजर / सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास एवं श्री आनन्द कुमार, प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/01/19

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।